

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236706  
SG-DL-E-18062022-236706असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं.145
No. 332]	DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 145

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIस्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
आदेश

दिल्ली, 7 जून, 2022

फा. सं. (1)119/पी.एन.डी.टी. /डी. एफ. डबल्यू./2017-18/4932-42.—उक्त 'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994' और 'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छह माह का प्रशिक्षण) नियम, 2014, जैसा कि वर्ष 2020 में दिनांक 26.6.2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के नियम 7 के उप-नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्थानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशिक्षण (उदर श्रोणीय अल्ट्रासोनोग्राफी में मूलभूत सिद्धांत) हेतु मान्यता प्रदान की जाती है:

1. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली;
2. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जीटीवी अस्पताल, नई दिल्ली;
3. वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली;
4. पीजीआईएमईआर, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली;
5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली;
6. इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली;
7. सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली;

8. सेंट स्टीफंस अस्पताल, नई दिल्ली; तथा
9. बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली।
10. मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (साकेत)
11. वेंकटेश्वर अस्पताल (ए.एस.एच.ए. की एक इकाई)
12. मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (शालीमार बाग)
13. डॉ बी एल कपूर मेमोरियल अस्पताल
14. फोर्टिस शालीमार बाग अस्पताल
15. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज
16. श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट
17. महाराजा अग्रसेन अस्पताल
18. होली फैमाली अस्पताल
19. मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पटपड़गंज

अमित सिंगला, सचिव

## DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### ORDER

Dehi, the 7th June, 2022

**F. No. (1)119/PNDT/DFW/2017-18/4932-42.**—In exercise of powers conferred under sub rule 2 of Rule 7 of the said 'Pre-conception and Pre-natal Diagnostic techniques Act, 1994 and Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of sex selection) (Six months training) Rules, 2014, as amended in the year 2020 vide dated 26.6.2020, the following institutes are accredited to impart the training (Fundamental in Abomino Pelvic Ultrasonography) in National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Maulana Azad Medical College and LokNayak Hospital, New Delhi;
2. University College of Medical Sciences and GTB Hospital, New Delhi;
3. VardhmanMahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi;
4. PGIMER, Dr Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi;
5. Lady Harding Medical College, New Delhi;
6. Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi;
7. Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi;
8. St. Stephens Hospital, New Delhi; and
9. Batra Hospital and Medical Research Centre, New Delhi.
10. Max Super Specialty Hospital (Saket)
11. Venkateshwara Hospital (A unit of A.S.H.A)
12. Max Super Specialty Hospital (Shalimar Bagh)
13. Dr. B L Kapur Memorial Hospital
14. Fortis Shalimar Bagh Hospital
15. Dr. Baba SahebAmbedkar Hospital & Medical College
16. Sri Balaji Action Medical Institute
17. Maharaja Agarsen Hospital
18. Holy Family Hospital
19. Max Super Specialty Hospital, Patparganj

AMIT SINGLA, Secy.